(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 25 **नई दिल्ली 22 फरवरी 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, संशोधन के लिए देय मज़दूरी के बक़ाया के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में कार्गो प्रहस्तन कामगार प्रभाग गतिविधियों के लिए विशेष प्रभार अनुमोदित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/34/2007–सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास ----- आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2008 के 12वें दिन पारित)

यह मामला नौभरण लेवी और निकासी तथा परेषण (सी एंड एफ) लेवी के संशोधन के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) द्वारा दाखिल प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. सीएचपीटी ने नौभरण लेवी और सी एंड एफ लेवी के संशोधन के लिए जून, 2007 में इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दाखिल किया था। इस प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ–साथ, 1–1–2007 से पत्तन कामगारों के वेतन और भत्तों के आसन्न संशोधन के कारण बक़ाया मज़दूरी की देयता को पूरा करने के लिए प्रारक्षण बनाने के लिए विशेष प्रभार का समावेशन शामिल किया है। इस संबंध में, सीएचपीटी ने प्रस्तावित किया है कि:

(i). मज़दूरी संशोधन के लागू होने की तारीख से इस प्राधिकरण द्वारा इसके दरमानों में संशोधित मज़दूरी समावेशित किए जाने तक की तारीख की अवधि के लिए मज़दूरी बक़ाया की वसूली के लिए रू0 2/– प्रति टन का विशेष प्रभार वसूल किया जाए;

(ii). दरमानों में संशोधित मज़दूरी समावेशित किए जाने की तारीख से विशेष प्रभार रोक दिया जाए;

(iii). नौभरण लेवी के लिए प्रशुल्क के अगले संशोधन में मज़दूरी बक़ाया देयता पूरी करने के पश्चात इस लेखा में अधिशेष, यदि कोई हो, को समायोजित किया जाए।

2.2. सीएचपीटी ने यह भी निवेदन किया है कि उसने प्रस्ताव अवस्था में प्रासंगिक उपयोक्ता असोसिएशन से विचार–विमर्श किया था और उपयोक्ता रू0 1/– प्रति टन की विशेष दर पर सहमत थे।

3. इस प्रस्ताव पर प्रासंगिक उपयोक्ताओं से विचार–विमर्श किया गया था। सीएचपीटी से इस संपूर्ण प्रस्ताव पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। संदर्भित मामले में एक संयुक्त सुनवाई दिनांक 28 जनवरी, 2008 को सीएचपीटी परिसर में आयोजित की गई थी।

4.1. प्रासंगिक उपयोक्ता असोसिएशनों ने सीएचपीटी के प्रस्ताव पर अपनी लिखित टिप्पणियों में सूचित किया था कि वे सीएचपीटी द्वारा 6 सितम्बर, 2006 और 6 अक्तूबर, 2006 को आयोजित बैठकों में इस बात पर सहमत थे कि जहां कहीं कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) कामगार तैनात हों वहां पर सीएचडी कामगारों के लिए परिमाणित मज़दूरी बक़ाया पूरा होने के समय तक सभी कार्गो के लिए आयात आवेदन और निर्यात आवेदन पर सीएचपीटी द्वारा 1 जनवरी, 2007 से रू0 1/– प्रति टन की वसूली की जाए।

4.2. उपयोक्ता असोसिएशनों ने भी 28 जनवरी, 2008 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में अनुरोध किया था कि फिलहाल रू0 1/– प्रति टन विशेष प्रभार वसूल किया जाए।

5. चूंकि मूल प्रभार वर्तमान मज़दूरी ढाँचा जिसके बारे में बताया गया है कि पूर्वव्यापी संशोधन पहले से देय है, के आधार पर व्युत्पादित रहेंगे, इसलिए मज़दूरी संशोधन बक़ाया को पूरा करने के लिए प्रारक्षण तैयार करने के लिए विशेष प्रभार समावेशन के लिए सीएचपीटी का प्रस्ताव उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि सीएचपीटी ने नौभरण गतिविधि में अधिशेष/घाटा स्थिति दर्शाते हुए वित्तीय विश्लेषण और आसन्न मज़दूरी संशोधन के कारण अनुमानित वित्तीय देयता नहीं भेजी थी, इसलिए ऐसी स्थिति में पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर पर निर्णय लेना इस प्राधिकरण के लिए संभव नहीं है। किन्तु, पत्तन उपयोक्ताओं की सभी प्रमुख असोसिएशनों ने मज़दूरी बक़ाया देयता को पूरा करने के लिए रू0 1/– प्रति टन की विशेष दर के समावेशन पर सहमति व्यक्त की है। चूंकि मज़दूरी संशोधन पहले ही 1 जनवरी, 2007 से देय

बताया गया है, विशेष प्रभार समावेशन में किसी विलंब से केवल बाद में वसूल किए जाने वाले अनाच्छादित मज़दूरी बक़ाया पर दबाव पड़ेगा, इसलिए रू0 1/– प्रति टन की सहमत दर को तत्काल लागू करना उचित रहेगा। सीएचपीटी से माँगी गई अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति पर सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश तक यह एक अंतरिम व्यवस्था रहेगी।

6. सीएचपीटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मज़दूरी बक़ाया देयता की वसूली पर विशेष प्रभार तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, सीएचपीटी को सलाह दी जाती है कि इसके लिए पृथक लेखा शीर्ष व्यवस्थित किया जाए और इस शीर्ष के अधीन संचयनों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। इस लेखा में होने वाली अधिक वसूली, यदि कोई हो, को सीएचपीटी में नौभरण वसूली की अगली समीक्षा में पूरी तरह से घटाया जाएगा।

7. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण अंतरिम व्यवस्था के रूप में सीएचपीटी में रू0 1/– प्रति टन का विशेष प्रभार अनुमोदित करता है जोकि सभी आयात आवेदन और निर्यात आवेदन पर वसूल किया जाएगा, जहां कहीं कार्गो प्रहस्तन प्रभाग कामगार तैनात हों।

8. सामान्यतः, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें प्रशुल्क दिशा–निर्देशों के खंड 3.2.8 में यथा विनिर्दिष्ट भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होती हैं। चूंकि इस विशेष प्रभार के समावेशन में किसी विलंब का केवल बाद में वसूल किए जाने वाले अनाच्छादित मज़दूरी बक़ाया पर दबाव पड़ेगा, और उपयोक्ता भी इस अंतरिम व्यवस्था से सहमत हैं, इसलिए इस प्राधिकरण को लगता है कि भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से सात दिनों की समाप्ति के पश्चात से संशोधित प्रशुल्क लागू करने का आदेश देना उचित रहेगा। यह अंतरिम व्यवस्था सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश तक लागू रहेगी।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष